

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**<sup>1</sup>[Rule 83B: Surrender of enrolment of goods and services tax practitioner**

- (1) A goods and services tax practitioner seeking to surrender his enrolment shall electronically submit an application in **FORM GST PCT-06**, at the common portal, either directly or through a facilitation centre notified by the Commissioner.
  - (2) The Commissioner, or an officer authorised by him, may after causing such enquiry as deemed fit and by order in **FORM GST PCT-07**, cancel the enrolment of such practitioner.]
- 

---

<sup>1</sup> Rule 83B inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019. This amendment, not yet notified.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**1[नियम 83ख : माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतीकरण**

- (1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06** में आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाएं जाने के पश्चात् और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07** में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्द कर सकेगा।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा नियम 83ख अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।